न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 संख्या :–360 / 2026
उत्पन्न परमानंदपुर थाना कांड संख्या :–27 / 2025

1. धीरेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र कुमार, सा0–परमानंदपुर, वार्ड नं0–13, | उम्र करीब 45 वर्ष थाना– परमानंदपुर | पिता–रामोतार यादव जिला मधेपुरा –काराधीन अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – **विपक्षी**

उपस्थित :– सतीश कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

जमानत आदेश

05–06–2026

दिनांक–12.02.2026 से काराधीन अभियुक्त धीरेन्द्र यादव उर्फ धीरेन्द्र कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो परमानंदपुर थाना कांड संख्या–27 / 2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2), 109 बी.एन.एस. से संबंधित है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत झा द्वारा प्रचालित किया गया।

05.06.26

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हुए कथन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया जैसा प्राथमिकी में वर्णित किया गया है। आवेदक को गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठे मामले में फंसाया गया है। दोनो पक्ष सह भागीदार है तथा पूर्व में भूमि से संबंधित विवाद हुआ था परंतु सूचक ने इसे मारपीट से जोड़कर मामले को गंभीर बना दिया है। आगे कहते है कि यह प्रासंगिक है कि सूचक एवं अन्य द्वारा आवेदक को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया है तथा उस घटना के संबंध में आवेदक की पत्नी फुलो देवी ने सूचक तथा अन्य के विरूद्व परमानंदपुर थाना कांड सं0–28 / 2025 दर्ज करवाया है। आवेदक के विरूद्व जान से मारने के प्रयास का अभियोग गलत है इसलिए धारा–109 का मामला नहीं बनता है तथा अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 12.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है जिसके फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 संख्या :–360 / 2026
उत्पन्न परमानंदपुर थाना कांड संख्या :–27 / 2025
–2–

लगातार
05–06–26

– अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि दिनांक 24.05.2025 को दिन में करीब 1:30 बजे सूचक का भतीजा धीरेन्द्र यादव ने अपने एक में हाथ में खनती और एक हाथ में कुदाल लेकर गाली गलौज करते हुए दरवाजा पर पहुंच गया। जब सूचक का लड़का प्रवेश कुमार गाली देने का विरोध किया तो उसके उपर कुदाली फेंका जिससे वह बच गया, उसके बाद उसे खन्ती से मारा जिससे प्रवेश कुमार को सिर पर लगा और सिर फट गया तथा खून बहने लगा। सूचक का छोटा बेटा प्रियांशु कुमार अपने भाई प्रवेश को बचाने गया तो उसके उपर भी खन्ती से प्रहार कर दिया जिससे बांह मे काफी चोट लगा और वह बेहाश हो गया। हल्ला होने से सूचक अपने घर पर आए तो देखे कि उनका दोनो लडका बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ है जिनका ईलाज कराने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र घैलाढ़ ले गया तथा इलाज कराने के कारण आवेदन देने में विलंब हुआ।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–115(2), 126(2), 109 बी.एन.एस. के अन्तर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्व सूचक के दरवाजे पर जाकर दोनो लडको प्रवेश कुमार तथा प्रियांशु कुमार के साथ खनती तथा कुदाली से मारकर जख्मी कर देने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा–04, 06, 07, 16 में वादी, साक्षी तथा जख्मी का बयान है जिसमें इन्होंने घटना का समर्थन किया है। आवेदक के विरूद्व सूचक के पुत्र प्रवेश कुमार के सिर पर खन्ती से मारने का विशिष्ट अभियोग है, जबकि जख्मी प्रवेश कुमार का जख्म प्रतिवेदन कांड दैनिकी के साथ संलग्न है जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण (simple) पायी गई है। प्रथमदृष्ट्या आवेदक के विरूद्व अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किय जा चुका है। आवेदक दिनांक 12.02.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000 / –रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि दो जमानतदारो में से एक करीबी रिश्तेदार होंगे, आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित
Raghubir Prasad
05.06.2026
प्र0 अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय मधेपुरा